श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

बिहार सरकार

श्री सम्राट चौधरी
माननीय मंत्री

# बिहार सरकार
# पंचायती राज विभाग

## वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22

## वार्षिक कार्यक्रम 2022–23

# प्रस्तावना

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारत के संविधान में 'पंचायतों' से संबंधित भाग IX को जोड़ा गया है। साथ ही इसमें 'ग्यारहवीं अनुसूची' भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें पंचायतों को प्रशासनिक नियंत्रण सौंपे जाने से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है। इसमें स्थानीय स्व–शासन को सुदृढ़ करने तथा ग्राम–स्तर पर 'जिम्मेदार और संवेदनशील' नेतृत्व विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास किये गये हैं। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इसके लिए अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर पर नयाय पीठ के तौर पर ग्राम कचहरी का एक विशिष्ट पहलू है। ग्राम कचहरी द्वारा घर–समाज के झगड़ों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटान का प्रावधान है। ग्राम कचहरी द्वारा आपराधिक मामलों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 142, 145, 147, 151, 153 आदि में भी सुनवाइ करने का प्रावधान है।

2. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को निधि सुगमतापूर्वक एवं त्वरित गति से हस्तांतरित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं सम्बद्ध कर्मियों के सतत् प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र तथा सभी 38 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। e-Office प्रणाली को सुचारू रूप से लागू किये जाने हेतु विभाग स्तर से कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। संचिकाओं एवं संबंधित कागजातों के स्कैनिंग हेतु एजेंसी के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

3. पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में पूरी जिम्मेदारी के साथ ग्राम पंचायतों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु मतदाता सूची से मिलान कर सर्वे किया जा रहा है ताकि सभी हाउस होल्ड को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना से संबद्ध किया जा सके।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग को आवंटित 57995 वार्डों में से 57611 वाडों में जल की आपूर्त्ति की जा रही है। अवशेष बचे हुए गृहों में भी शत–प्रतिशत जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य है, जिसे जल्द पूर्ण कर लिया जायेगा। इस योजना से लगभग 96 लाख परिवारों को पेयजल का कनेक्शन दिया जा चुका है। विभाग स्तर से इस योजना का लगातार अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस निमित्त सभी जलापूर्त्ति योजनाओं में सूचना सूचना प्रावैधिकी आधारित IOT (Internet of things) Device लगाया जा रहा है। इसके माध्यम से योजना की क्रियाशीलता का एकीकृत अनुश्रवण सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। वार्ड स्तर पर सतत् संचालन हेतु दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति बनाई गई है एवं वार्ड स्तर पर 68000 अनुरक्षक का भी प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत गाँवों में बसावटों के अंदर गलियों का पक्कीकरण किया गया है। इस योजना के तहत कुल 114651 वार्डों के विरूद्ध अबतक 114463 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष छुटे हुए गलियों का सर्वेक्षण कर उसे भी इस वर्ष पक्कीकरण करने का लक्ष्य है। घरों से निकलने वाले पानी के निस्तारण के लिए नालियों में सोख्ता की व्यवस्था की गई है एवं ग्रामीण इलाकों में आवश्यकतानुसार जल भंडारण संरचनाएँ बनाई जा रही हैं। गाँव के गलियों में पेभर ब्लॉक के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है। उक्त निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से e-Nischay एप अपलोड किया गया है।

4. सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक किया जाना है। यदि कोई क्षेत्र छूट जायेंगे तो अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन किया जाएगा एवं रख–रखाव अगले पाँच वर्ष तक जारी रहेगा। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर ब्रेडा द्वारा सूचीवद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएगी, जिनका रख–रखाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

5. 15वें वित्त आयोग की सम्पूर्ण सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए लागू है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के लिए Tied एवं Untied के रूप में कुल ₹19561.00 करोड़ (उन्नीस हजार पाँच सौ इकसठ करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की राशि अनुशंसित है। भारत सरकार से प्राप्त होने वाली उक्त अनुदानों की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच क्रमशः 70:15:15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है।

6. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए Health Sector Grant की कुल ₹4802.88 करोड़ (अड़तालीस अरब दो करोड़ अट्ठासी लाख रूपये) मात्र की राशि भारत सरकार से प्राप्त होनी है। इस राशि से राज्य में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य ढ़ाँचा को सुदृढ़ करना एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाना है ताकि वे किसी तरह की स्वास्थ्य आपदा (यथा– कोविड–19 आदि) की स्थिति में अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके।

7. षष्टम् राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5164 दिनांक 13.08.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए लागू किया गया है। इस योजना की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच क्रमशः 70:15:15 के अनुपात में वितरित किया जाना प्रावधानित है। पंचायती राज संस्थाओं को यह राशि विकास निधि (30%), अनुरक्षण निधि (20%) एवं समान्य निधि (20%) के रूप में उपलब्ध होगी। इस राशि का उपयोग राज्य स्कीम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, नागरिक सेवाएँ यथा–पेयजल आपूर्त्ति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का संग्रहण व निपटान, स्ट्रीट लाईट, श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान का निर्माण, क्षमतावर्द्धन, स्थापना एवं प्रशासनिक मद, परिसम्पतियों के अनुरक्षण आदि मदों में किया जा सकेगा।

8. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय भवन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य की 8067 कुल ग्राम पंचायत में से अब तक 3200 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें से 1480 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 842 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है, 861 पंचायत सरकार भवन प्रक्रियाधीन है एवं 17 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में विवाद के कारण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा स्वीकृति प्रदत्त नहीं है। उक्त के आलावे लगभग 3000 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निमार्ण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए मुझे संतोष हो रहा है कि अब पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं किया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार की यह योजना है कि चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था कर दी जाए। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में एक बड़ी बाधा ग्राम पंचायत के मुख्यालय गांव में भूमि उपलब्ध नहीं होना रहा था। इस पर विचार करते हुए यह अनुमान्य किया गया है कि मुख्यालय गाँव में उपयुक्त भूमि अनुपलब्ध रहने पर ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। इस संशोधन से अधिकांश ग्राम पंचायतों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है।

9. सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत 'स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव' का संकल्प लिया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर, 2021 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत टाईड अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त (ODF) Status के सतत् रख रखाव हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण में अभिसरण कर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

नगर निकाय के तर्ज पर गाँव को विकसित करने हेतु सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बस पड़ाव का निर्माण, शवदाहगृह/विधुत शवदाहगृह, सम्राट अशोक भवन का निर्माण, प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण, बेलट्रॉन के मानक के अनुरूप CCTV कैमरा अधिष्ठापित किये जाने, पार्क, पार्क में Open जिम, खेल का मैदान आदि योजनाओं क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु CEC द्वारा कुल 268.90 करोड़ का वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित है। इस योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना से GPDP आदि पर भी प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्य को सफल बनाने हेतु जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। जिला पंचायत संसाधन केन्द्र भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

10. जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों का उपलब्ध कराई गई Untied Grant की राशि से कुल 60250 अदद् सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं कुँओं के किनारे सोख्ता का निर्माण कार्य पंचायती

राज विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लगातार प्रगति हो रही है। अबतक कुल 4448 कुँओं का जीर्णोंद्धार योजना पूर्ण किया जा चुका है।

11. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में स्वच्छ, पारदर्शी एवं न्यूनतम अवधि में विवाद रहित पंचायत चुनाव कराने तथा सटीक मतगणना परिणाम सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 ई०वी०एम० के माध्यम से कराया गया है। ग्राम कचहरी के सरपंच तथा पंच पदों के लिए मतदान परम्परागत मतपेटिकाओं और मतपत्रों के माध्यम से कराये गये हैं। इस चुनाव में मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार बायोमैट्रिक्स प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की वृहद्ता, जटिलता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को सीधे आयोग के स्तर से अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु पहली बार Live Webcasting प्रणाली, बज्रगृह में डिजिटल लॉक का उपयोग, मतगणना में AL (Artificial Inteligence) आधारित सॉफ्टवेयर OCR (ऑप्टीकल कैरेक्टर रिकॉगिनेशन) तकनीक का प्रयोग, निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का शत्–प्रतिशत डिजिटाईजेशन तथा विभिन्न पदों के लिए रंग आधारित मतदान प्रकोष्ठ का गठन किया गया। मतदाता जागरूकता के लिए प्रिंट एवं इलनेक्ट्रोनिक मिडिया के अतिरिक्त सोशल मिडिया यथा– Facebook, Twitter, Instagram and Youtube के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी लोगों तक पहुँचाया गया।

उक्त नई पहलों से पहली बार हिंसारहित चुनाव सम्पन्न हुए, मतदान केन्द्र पर वोगस वेटिंग अथवा बुथ कैप्चरिंग की शिकायत प्राप्त नहीं हुए। महिलाओं द्वारा बढ़चढ़ कर मतदान के हिस्सा लिया गया है। प्रत्येक चरण में महिलाओं द्वारा पुरूषों से 5–10 प्रतिशत अधिक मतदान हुआ है, जबकि कुल महिला मतदाता पुरूष मतदाता से कम है। पहलीवार 80–85 प्रतिशत नये चेहरे पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए हैं। महिलाओं के आरक्षित पद से लगभग 5–10 प्रतिशत अधिक महिलाएँ निर्वाचित हुई है।

बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 कुल 11 चरणों में कराये गये, जिसमें छः पदों पर एक साथ और कुल 247656 पदों के लिए 113891 मतदान केन्द्रों पर मतदान सम्पन्न कराया गया।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन किये जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 5 बुक एवं 6 लीफलेट तैयार की गयी है। साथ इन्हें प्रशिक्षण दिये जाने हेतु 400 ToT (Trainee of Trainer) को प्रशिक्षित किया गया है। ग्राम कचहरियों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों यथा– सरपंच, उप सरपंच, पंच न्यायमित्र तथा कचहरी सचिव को प्रदत्त शक्तियों एवं दायित्वों की जानकारी के लिए चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, पटना में प्रशिक्षण, क्षमतावर्द्धन एवं इससे संबंधित रिसर्च आदि कार्यों के लिए पंचायती राज

पीठ का गठन किया गया है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, पटना द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच एवं पंचों को इसी माह से प्रशिक्षण दी जाएगी।

12. राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में सूचना प्रावैधिकी का विकास करने तथा ई–ग्वर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक–एक कार्यपालक सहायक की पदस्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य की 8067 पंचायतों में से समभतः 7829 पंचायतों में कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं। शेष पंचायतों में भी जिला पदाधिकारी द्वारा व्यवस्था की जा रही है। इन कार्यपालक सहायकों के माध्यम से पंचायतों द्वारा कार्यान्वित हो रही विभिन्न योजनाओं के अभिलेखों के रख–रखाव, अनुश्रवण एवं ऑनलाईन प्रविष्टि में काफी सहुलियत हुई है। साथ ही साथ पंचायत स्तर पर लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के केन्द्रों का संचालन संभव हो पाया है। इस व्यवस्था से आम नागरिकों को सेवा प्राप्त करने के लिए अब प्रखंड स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इससे जन साधारण को काफी सहुलियत हुई है। ग्राम पंचायत काफी व्यापक होने एवं इनके कार्य बोझ की अधिकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक–एक अतिरिक्त कार्यपालक सहायक की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। पंचायत सरकार भवनों की सुरक्षा एवं साफ–सफाई हेतु प्रत्येक पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन में एक–एक सुरक्षा गार्ड एवं सफाई कर्मी रखने हेतु जिलों को दिशा–निर्देश देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

13. राज्य सरकार ने चार पंचायत पर एक तकनीकी सहायक एवं चार पंचायत पर एक लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक की व्यवस्था की है। तकनीकी सहायकों के कुल स्वीकृत 2096 पदों में से 1571 पदों के विरूद्ध नियुक्ति हो चुकी है। इन सभी के पदस्थापन होने से ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित हो रही योजनाओं का प्राक्कलन बनाने, तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मापी में गति आ गई है।

14. ग्राम पंचायत के लेखों के उचित रख–रखाव एवं अंकेक्षण की दुरूस्त व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुल 2096 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1743 लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक कार्यरत हैं। इससे पंचायतों के प्रशासन में काफी सहुलियत मिल पायी है।

15. राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के नियमित निरीक्षण को सशक्त करने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की संख्या में वृद्धि की है। पूर्व में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 528 पद थे, जिन्हें बढ़ाकर 716 कर दिया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का नियमित अंकेक्षण सुनिश्चित करने के प्रावधान के क्रम में बिहार पंचायत राज अंकेक्षण सेवा का गठन किया गया है और 373 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर सेवानिवृत्त अंकेक्षकों की सेवा लेकर व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

बिहार पंचायती राज अभियंत्रण संगठन का गठन किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। इसके माध्यम से 1314 पदों पर अभियंता की नियुक्ति की जानी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभाग से अधियाचित 3161 पंचायत सचिव के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाने वाली है। जल्द ही अर्हता प्राप्त चयनित 3161 पंचायत सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगाी। विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिकों की व्यवस्था हेतु कुल 8795 पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है। विभाग की योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई में SQM का कुल 20 पद सृजित है। जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई में DQM का कुल 268 पद स्वीकृत है। वर्तमान में SPMU में में कुल 07 SQM कार्यरत है तथा 13 का पद रिक्त है। DPMU में कुल 05 DQM कार्यरत है एवं 263 पद रिक्त है। SQM एवं DQM के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विभाग स्तर पर प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

16. सदन को यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए उन्हें कर/फीस लगाने की शक्तियाँ प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप पंचायतों की वित्तीय स्थिति सशक्त होगी, जिससे पंचायतें अपनी गतिविधियों को और व्यापक कर सकेंगी।

17 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना/मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली निश्चय योजना/सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाओं आदि का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को बड़े पैमाने पर धन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में राज्य के जिला परिषदों में स्थित अभियंत्रण संवर्ग में तकनीकी पदाधिकारियों की संख्या की अत्यन्त कमी होने के कारण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन एवं तकनीकी अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण योजनाओं के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के व्यापक कार्यक्षेत्र को देखते हुए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ''पंचायती राज अभियंत्रण संगठन'' गठित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

18. राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए कृत संकल्प है।

**शुभकामनाओं सहित,**

**(सम्राट चौधरी)**
मंत्री,
पंचायती राज विभाग।

# पंचायती राज विभाग, बिहार
# वार्षिक प्रतिवेदन

## सामान्य विवरण

भारतीय संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत एवं 73वें संविधान संशोधन की भावना को मूर्त्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों की सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 38 जिला परिषदें, 533 पंचायत समितियाँ, 8067 ग्राम पंचायतें एवं 8067 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट–1)।

पंचायती राज विभाग में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515 एवं 4515 तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद के मुख्य शीर्ष 2515, 4059 एवं 4515 में ₹1307.05 करोड़ (तेरह अरब सात करोड़ पाँच लाख रूपये) मात्र तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 में ₹8500.6718 करोड़ (पिचासी अरब सड़सठ लाख इक्कयासी हजार रूपये) मात्र की राशि का उपबंध है (विवरणी परिशिष्ट 2 एवं 3)।

## 2. केन्द्रीय वित्त आयोग

### (क) 15वाँ वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए रिपोर्ट)

15वें वित्त आयोग की सम्पूर्ण सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए लागू है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के लिए Tied एवं Untied के रूप में कुल ₹19561.00 करोड़ (उन्नीस हजार पाँच सौ इकसठ करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की राशि अनुशंसित है। भारत सरकार से प्राप्त होने वाली उक्त अनुदानों की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप क्रमशः 70:15:15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। विभागीय राज्यादेश संख्या 27(स्वी०) दिनांक 13.09.2021 द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश संसूचित है।

उक्त के आलोक में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निम्नरूपेण राशि उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है:–

**राशि करोड़ में।**

| sr. | Grant for PRIs | | Financial Year | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | Tied (60%) | Suply of drinking water, rain water harvesting & water recycling (30%). | 1112.70 | 1152.60 | 1165.20 | 1234.20 | 1203.60 | 5868.30 |
| | | Status & maintenance of Open Defacation Free (ODF)local body (30%). | 1112.70 | 1152.60 | 1165.20 | 1234.20 | 1203.60 | 5868.30 |
| | | **Total** | **2225.40** | **2305.20** | **2330.40** | **2468.40** | **2407.20** | **11736.60** |
| 2 | Untied (40%) | It is to be utilize at the discretion of the Panchayti Raj Institutions for improving basic services. | **1483.60** | **1536.80** | **1553.60** | **1645.60** | **1604.80** | **7824.40** |
| **Grand Total** | | | **3709.00** | **3842.00** | **3884.00** | **4114.00** | **4012.00** | **19561.00** |
| उपरोक्त Tied एवं Untied अनुदान दो–दो किस्तों में भारत सरकार द्वारा विमुक्त किये जाने की अनुशंसा है। | | | | | | | | |

वित्तीय वर्ष 2021–22 में Untied अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की कुल ₹1483.60 करोड़ (चौदह अरब तेरासी करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र की राशि तथा Tied अनुदान की प्रथम किस्त की कुल ₹1112.70 करोड़ (ग्यारह अरब बारह करोड़ सत्तर लाख रुपये) मात्र की राशि भारत सरकार से प्राप्त है, जिसे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) को उपलब्ध करा दी गई है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹3842.00 करोड़ (अड़तीस अरब बयालीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

**(ख)** **15वें वित्त आयोग (Health Sector Grant)**

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत Health Sector Grant के उपयोग से संबंधित Operational Guideline जारी किया गया है, जिसके अनुसार पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए कुल ₹48,02,88,00,000.00 (अड़तालीस अरब दो करोड़ अठ्ासी लाख रूपये) मात्र की राशि प्राप्त होना प्रस्तावित है। Health Sector Grant की राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य से संबंधित निम्न कार्यों पर किया जाना हैः–

a) Support for diagnositic infrastructure to the primary healthcare facilities.
b) Block level public health units.
c) Building-less Sub centres, PHCs, CHCs.
d) Conversion of Rural PHCs and Sub Centres into Health and Wellness Centre.

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत से सरकार से Health Sector Grant की कुल ₹9,03,46,38,000.00 (नौ अरब तीन करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र की राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल ₹904.47 करोड़ (नौ अरब चार करोड़ सैंतालीस लाख रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

## 3. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

भारत के संविधान के अनुच्छेद–243(छ) में आर्थिक एवं समाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए पंचायतों को अधिदेशित किया गया है। केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से ग्राम पंचायत का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। स्वशासी सरकार के रूप में पचायतों से अपेक्षा है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के उपेक्षित एवं सुविधाओं से वंचित आमजनों का पहचान कर उन्हें समाजिक एवं आर्थिक विकास की सहभागितापूर्ण प्रक्रिया से जोड़ा जाए और एक उत्तरदायी व्यवस्था कायम की जाये।

उपर्युक्त आलोक में पंचायती राज विभाग द्वारा ''सबकी योजना सबका विकास'' की परिकल्पना को निहित करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना का कार्यान्वयन किया गया है। इसके तहत राज्य स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ग्राम पंचायत के समाजिक एवं आर्थिक विकास के अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने ई०ग्राम स्वराज पोर्टल में डाटा प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।

## 4. प्रखण्ड पंचायत विकास योजना (BPDP)

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में प्रखण्ड पंचायत विकास योजना तैयार करके ई–ग्राम स्वराज पोर्टल में डाटा प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है। साथ ही जिला पंचायत विकास योजना के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

## 5. षष्ठम् राज्य वित्त आयोग

षष्टम् राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5164 दिनांक 13.08.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए लागू किया गया है। इस संकल्प के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों यथा– जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के बीच राशि का वितरण क्रमशः 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा। पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने वाली राशि तीन शीर्षों/बिन्दुओं (षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय–8 की कंडिका 8.29, 8.30 एवं 8.31 में विकास निधि, अनुरक्षण निधि एवं सामान्य निधि में वर्णित अवयवों/घटकों के आलोक में) से संबंधित कार्यों में अनुपातिक रूप से विभाजित करते हुए उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है:–

| | | |
|---|---|---|
| विकास निधि (Development Fund) | : | 30 प्रतिशत |
| अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund) | : | 20 प्रतिशत |
| सामान्य निधि (General Fund) | : | 50 प्रतिशत |

पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकास निधि (Development Fund) एवं अनुरक्षण निधि (Maintenance Fund) का उपयोग आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुरूप किया जायेगा। सामान्य निधि का 50 प्रतिशत राशि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु कर्णाकित

होगा। शेष 50 प्रतिशत की राशि का उपयोग इन संस्थाओं द्वारा आयोग की अनुशंसा के अनुरूप किया जायेगा।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022—23 में कुल ₹3142.00 करोड़ (इक्कतीस अरब बयालीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

## 6. राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) :

पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए राज्य स्तर पर राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त हेतु पंचायत राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा आम लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ''बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी'' को बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था के रूप में पुर्नगठित किया गया है। संस्थागत अधोसंरचना इकाई के तहत राज्य के 38 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र निर्मित करने हेतु आदेश निर्गत है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी जिला परिषदों को भवन का मॉडल, मानक प्राकलन एवं राशि उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु भवन के निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

## 7. मुख्यमंत्री निश्चय योजनाः

सुशासन के कार्यक्रम 2015—20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ''सात निश्चय'' लिये गये हैं जिनमें से दो निश्चयों का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है, जो निम्नवत् हैः—

**(i) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाः**— इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा जलापूर्ति की छोटी—छोटी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए साधारणतः भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के वार्ड को एक इकाई मान कर प्रत्येक वार्ड के लिए एक योजना ली जा रही है। ग्राम पंचायत के वार्डों में जल की इस आवश्यकता को बोरिंग, सबमर्सिवल पम्प एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाइन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जल की शुद्धता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलस्रोत (बोरिंग) की न्यूनतम गहराई 100 मीटर रखी जा रही है। पाईप लाइन के माध्यम से घरों तक जल वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के लिए स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। विभिन्न विशिष्टियों के अनुसार मानक

प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर ग्राम पंचायतों को भेजा गया है। **स्थानीय आवश्यकता अनुसार मानक प्राक्कलन के आधार पर विशिष्ट योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर क्रियान्वित किया जा रहा है।** मानक प्राक्कलन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार की सहायता से तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाओं के कार्यान्वयन में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) द्वारा कोटेशन के आधार पर भी प्राक्कलन के विभिन्न अवयवों का अवयववार कार्यान्वयन कराया जा सकेगा। विशिष्टयों के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण होन के उपरांत कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका में दर्ज मापी के आधार पर ही भुगतान करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में 4291 ग्राम पंचायतों के 57995 वार्डों में से अबतक 57611 से अधिक वार्डों में पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन पूर्ण किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप लगभग 96 लाख घरों को शुद्ध नल का जल मिल पा रहा है। इस योजना के अवशेष वार्डों में कार्य जारी है।

**(ii) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाः–** इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अन्तर्गत बसावटों को सम्पर्कता एवं ग्राम के अन्तर्गत गली–नाली का पक्कीकरण हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा ईंट सोलिंग, पेभर ब्लॉक एवं पी०सी०सी० गली निर्माण (नाली के साथ) की छोटी–छोटी योजनाएं चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों की स्थानीय भौगोलिक परिस्थियों, यथाः– मिट्टी का प्रकार, पानी की निकासी, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग क्षेत्रों के अनुरूप गली–नाली निर्माण हेतु विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। मानक प्राक्कलनों की तैयारी में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की सहायता ली गई है। इस योजना में आवश्यकतानुसार भू–अर्जन की भी व्यवस्था की गई है। हर घर को पक्की गली–नाली से जाड़ने के निश्चय का कार्यान्वयन तीव्र गति से चल रहा है। अब तक कुल 114651 वार्डों के विरूद्ध 114463 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन राज्य योजना मद की राशि के अतिरिक्त चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होनेवाली प्रतिनिधायन की राशि एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण कर की जा रही है।

मुख्यमंत्री निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹400.00 करोड़ (चार अरब रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

**8.** जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं कुँओं के किनारे सोख्ता का निर्माण कार्य किया जाना है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रति

पंचायत एक की दर से कुल 8387 अदद् सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण कार्य किया जा रहा है। 60250 अदद् सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य हेतु मानक प्राक्कलन जिलों को प्रेषित है, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹62400.00 (छह लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र की राशि है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई Untied Grant की राशि से इस योजना का क्रियान्वयन की जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रविष्टि जल–जीवन–हरियाली पोर्टल पर की जा रही है। अद्यतन 1630 अदद् सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसमें से 1530 अदद् कार्य प्रगति में है एवं 100 अदद् कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मार्च 2021 तक सभी सार्वजनिक कुँओं एवं सोख्ता निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया है।

## 9. सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट योजना :

सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक किया जाना है। यदि कोई क्षेत्र छूट जायेंगे तो अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन किया जाएगा एवं रख–रखाव अगले पाँच वर्ष तक जारी रहेगा। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर ब्रेडा द्वारा सूचीवद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएगी, जिनका रख–रखाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन में व्यय होने वाली राशि में से 75 प्रतिशत धनराशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से पंचायतों को प्राप्त होने वाली Untied अनुदान की राशि से व्यवस्था की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य योजना/षष्ट्म राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाले अनुदान से किया जाना प्रस्तावित है। विभागीय संकल्प संख्या 5465 दिनांक 17.09.2021 द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश संसूचित है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल ₹200.00 करोड़ (दो अरब रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

## 10. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA):

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना को पुनर्गठित करते हुए इसे दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2022 तक प्रभावी किया गया है। यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण, मानव

संसाधन सूचना प्रौधौगिकी सुविधा के सुदृढ़ीकरण, क्षमतावर्द्धन, ई–गर्वनेंस, ढ़ांचा का विकास, राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिकीकरण का प्रावधान किया गया है।

उक्त योजना के माध्यम से क्षमतावर्द्धन इकाई अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्मित करने से संबंधित विषय पर राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षकों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, कर्मियों जीविका समूह के सदस्यों एवं Line Department के कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसी प्रकार इसके तहत राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया गया है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में केन्द्रांश के रूप में ₹152.22 करोड़ (एक अरब बावन करोड़ बाईस लाख रूपये) मात्र तथा राज्यांश के रूप में ₹50.52 करोड़ (पचास करोड़ बावन लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल ₹202.74 करोड़ (दो अरब दो करोड़ चौहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

## 17. पंचायत सरकार भवन

राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर संचालित सभी विभागों को एक छत के नीचे लाने की परिकल्पना राज्य सरकार द्वारा की गयी है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया। भवन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, पंचायत स्टैंडिंग कमिटि के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय आदि का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग बहुउद्देशीय होगा। उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त बाढ़ एवं अन्य आपदाओ में भी उसका उपयोग किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। अबतक राज्य के कुल 8067 पंचायतों में से 1479 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 1766 पंचायतों में भवन निर्माणाधीन है, जिसे जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। शेष बचे हुए पंचायतों में वर्ष 2024–25 तक पंचायत सरकार भवन के निर्माण करा लिये जाने का लक्ष्य है।

पंचायत सरकार भवन के सुरक्षा एवं साफ–सफाई हेतु भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सुरक्षा तथा पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से सभी पंचायत सरकार भवनों में CCTV कैमरा अधिष्ठापित किये जाने की योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹250.00 करोड़ (दो अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध किया गया है।

## 11. बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021:

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में स्वच्छ, पारदर्शी एवं न्यूनतम अवधि में विवाद रहित पंचायत चुनाव कराने तथा सटीक मतगणना परिणाम सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 ई०वी०एम० के माध्यम से कराया गया है। ग्राम कचहरी के सरपंच तथा पंच पदों के लिए मतदान परम्परागत मतपेटिकाओं और मतपत्रों के माध्यम से कराये गये हैं। बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 कुल 11 चरणों में कराये गये, जिसमें छः पदों पर एक साथ और कुल 247656 पदों के लिए 113891 मतदान केन्द्रों पर मतदान सम्पन्न कराया गया। पंचायत तथा ग्राम कचहरी के जिन पदों पर चुनाव कराया गया उसकी संख्या निम्नवत है :–

| | | |
|---|---|---|
| ग्राम पंचायत मुखिया | – | 8067 |
| ग्राम पंचायत सदस्य | – | 109634 |
| पंचायत समिति सदस्य | – | 11094 |
| जिला परिषद सदस्य | – | 1160 |
| सरपंच | – | 8067 |
| पंच | – | 109634 |
| **कुल** | – | **247656** |

इस चुनाव में मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार बायोमैट्रिक्स प्रणाली की व्यवस्था की गई। बायोमैट्रिक्स प्रणाली का कार्यान्वयन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेन्टस इंडिया लिमिटेड (BECIL), बेंगलुरू, कर्नाटक जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है, के द्वारा संपादित किया गया। इसी प्रकार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की वृहद्ता, जटिलता एवं संवेदनशीलता

को ध्यान में रखकर मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को सीधे आयोग के स्तर से अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु पहली बार Live Webcasting प्रणाली का भी उपयोग किया गया। Live Webcasting प्रणाली का कार्यान्वयन National Informatics Centre Services Inc (NICSI), जो भारत सरकार की अर्द्धसरकारी एजेंसी है, के माध्यम से सम्पन्न कराया गया।

## 11. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण

राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कई योजनाओं, यथा चौदहवें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त राशि से ली गयी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री निश्चय योजना इत्यादि का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9026 दिनांक 30.10.2017 के आलोक में विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किया जा रहा था। पुनः विभागीय संकल्प संख्या 4599 दिनांक 19.07.2019 द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को प्रत्यायोजित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

| क्र0 | पदाधिकारी का नाम | शक्ति स्वरूप | राशि सीमा |
|---|---|---|---|
| 1 | जिला पदाधिकारी | प्रशासनिक | बीस करोड़ रू0 तक |
| 2 | उप विकास आयुक्त | प्रशासनिक | एक करोड़ रू0 तक |
| 3 | प्रखंड विकास पदाधिकारी | प्रशासनिक | तीस लाख रू0 तक |
| 4 | ग्राम पंचायत | प्रशासनिक | बीस लाख रू0 तक |
| 5 | अधीक्षण अभियंता | तकनीकी | बीस करोड़ रू0 तक |
| 6 | कार्यपालक अभियंता | तकनीकी | एक करोड़ रू0 तक |
| 7 | सहायक अभियंता | तकनीकी | तीस लाख रू0 तक |
| 8 | कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक | तकनीकी | बीस लाख रू0 तक |

अद्यतन संशोधनों के अनुरूप ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा ₹15.00 लाख रूपये से ₹20.00 लाख रूपये एवं कनीय अभियंता के समरूप योग्यताधारी विभागीय तकनीकी सहायकों की तकनीकी स्वीकृति की सीमा ₹15.00 लाख रूपये से ₹20.00 लाख रूपये बढ़ा दी गई है।

## 12. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता

संविधान के 73 वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यो में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है।

तद्नुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2517 दि० 05.05.2015 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच को पूर्व से स्वीकृत यथास्थिति नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ता एवं विशेष मानदेय को विलोपित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (प्रतिमाह) भत्ता की स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय/भत्ता भुगतान हेतु कुल ₹226.00.00 लाख (दो अरब छब्बीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

## 13. नियमावलियों का गठन

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–146 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने हेतु अबतक निम्नलिखित नियमावलियाँ गठित की गई हैं :–

(i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006

(ii) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006

(iii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007

(iv) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2007

(v) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007

(vi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008

(vii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2008

(viii) बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010

(ix) बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011

(x) बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xi) बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम–निर्माण–प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xii) बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014

(xiii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन,सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014

(xiv) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा पुनः ली गयी)

(xv) बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015

(xvi) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (नियत फीस ₹2500.00 से ₹7000.00 की गयी)

(xvii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (चुनाव खर्च की अधिसीमा निर्धारण से संबंधित)

(xviii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (आरक्षण निर्धारण किया गया)

(xix) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2016 (प्राप्तांक समान रहने की दशा में निर्णय लिया जाना)

(xx) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017

(xxi) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2017

(xxii) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 17, 2017)

(xxiii) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 17, 2017)

(xxiv) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2018

(xxv) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxvi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxvii) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019

(xxviii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2021

## 14. प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ एवं पद सृजन

(क) विभाग में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना की अनुशंसा प्राप्त की जानी है। इसके लिए बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली के अंतर्गत जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय पत्रांक 13 दिनांक 02.01.2013 एवं पत्रांक 939 दिनांक 21.02.2013 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को 3161 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ख) पंचायत सचिव से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर कुल स्वीकृत पद के 25% पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है। प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के विरूद्ध प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ग) बिहार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित एवं अनुशंसित कुल 127 (एक सौ सत्ताईस) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए उन्हें विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित किया गया है। 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित एवं अनुशंसित कुल 10 (दस) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उक्त के अलावे रिक्त पदों के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–5170 दिनांक–04.09.2020 के द्वारा 162 (एक सौ बासठ) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने हेतु पत्र प्रेषित है। पुनः विभागीय पत्रांक–3903 दिनांक–27.07.2021 के द्वारा 18 (अट्ठारह) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त पद के विरूद्ध आयोग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

(घ) बिहार पंचायत सेवा के अंकेक्षण संवर्ग नियमावली, 2019 के गठन के फलस्वरूप बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक (पंचायती राज) के 373, वरीय अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) के 174, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी (पंचायती राज) के 41 एवं मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी (पंचायती राज) के 01 अर्थात कुल–589 (पाँच सौ नवासी) पदों का सृजन किया गया है। उक्त पदों के सृजन के पश्चात् अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक (पंचायती राज) के कुल–371 (तीन सौ इकहत्तर) पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है, जिसपर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ड़) विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 का गठन किया जा चुका है। तदनुसार पदों का सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

## 15. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित की गयी है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभाग (मुख्यालय) एवं राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा ग्राम पंचायत, पचांयत समिति एवं जिला परिषद् के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए है :–

(1) विभाग (मुख्यालय) स्तर पर :–

(i) **लोक सूचना पदाधिकारी** – प्रशाखा पदाधिकारी

(ii) **सहायक लोक सूचना पदाधिकारी** – संबंधित प्रशाखा/कोषांग के प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

(iii) **प्रथम अपीलीय प्राधिकार** – सचिव

(2) जिला परिषद् स्तर पर :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – निदेशक, लेखा प्रशासन–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(3) **पंचायत समिति स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) **ग्राम पंचायत स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

**16. बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 (मार्च 2021 से फरवरी 2022 तक):**

| क्र0 | आवेदनों का वर्गीकरण | प्राप्त आवेदन–पत्रों की कुल संख्या | कुल निष्पादित | शेष आवेदन पत्रों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | विभागीय स्तर पर सुनवाई हेतु | 1947 | 1947 | 0 |
| 2 | प्रथम अपील | 1 | 1 | 0 |
| 3 | द्वितीय अपील | 35 | 1 | 34 |
| 4 | अंतरण | 1908 | 1908 | 0 |
| 5 | निगेटिव | 39 | 39 | 0 |
| **कुल योग :–** | | **3891** | **3857** | **34** |

**18. अंकेक्षण**

1. पंचायती राज विभाग द्वारा आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा का गठन किया जा चुका है। इस सेवा के अधीन चार श्रेणियों के पदों यथा अंकेक्षक, वरीय अंकेक्षण अधिकारी, जिला अंकेक्षण अधिकारी तथा मुख्य अंकेक्षण अधिकारी का कुल 589 सृजन किया गया है। मूल पद अंकेक्षक की नियुक्ति बिहार लोक आयोग, पटना द्वारा प्रक्रियाधीन है। आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा

का परिणाम घोषित किया गया है। इसके उपरान्त अगले चरण की परीक्षा ली जायेगी। नियुक्ति उपरान्त सुचारू ढ़ंग से पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरियों का अंकेक्षण कार्य सुनिश्चित हो जायेगा।

2. आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था को मजबूत करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरियों का योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों द्वारा अंकेक्षण कार्य हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किये जाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। उक्त के आलोक में अबतक 38 जिलों में योग्य सी0ए0 फर्मों का चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अंकेक्षण कार्य जारी है।

3. 15वें वित्त की अनुशंसा की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल ग्राम पंचायतों (8387 ग्रा0पं0) का 25 प्रतिशत (2097 ग्रा0पं0) ग्राम पंचायतों का Audit Online करने का लक्ष्य MoPR द्वारा निर्धारित किया गया था।

उक्त लक्ष्य के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल 2136 (25 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों का ।नकपज व्दसपदम च्वतजंस पर अंकेक्षण प्रतिवेदन नचसवंक किया जा चुका है।

4. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए शत–प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं का ऑडिट ऑनलाईन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लगभग 2000 पंचायती राज संस्थाओं का ऑडिट स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के अंकेक्षकों द्वारा किया जा चुका है। इसमें से 75 पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण प्रतिवेदन Audit Online Portal पर upload किया गया है।

**19. <u>पंचायत पुरस्कार, 2020</u>ः–**

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2020 (आधार वर्ष 2018–19) हेतु बिहार राज्य अंतर्गत निम्नलिखित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों को पुरस्कृत किया गया हैः–

**(a) दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP),2020**

**जिला परिषदः–**

1. ***नालन्दा***

**पंचयत समितिः–**

1. जिला रोहतास अंतर्गत पंचायत समिति ***अकोढ़ीगोला***
2. जिला गया अंतर्गत पंचायत समिति ***गया सदर***

3. जिला गया अंतर्गत पंचायत समिति ***इमामगंज***

4. जिला औरंगाबाद अंतर्गत पंचायत समिति ***कुटुम्बा***

**ग्राम पंचायतः–**

1. जिला नालन्दा के सिलाव प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **सबैत**

2. जिला दरभंगा के केवटी रनवे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **असराहा**

3. जिला समस्तीपुर के समस्तीपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **मोहनपुर**

4. जिला गया के गया सदर प्रखंड ग्राम पंचायत **औराँव**

**(b) नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (NDRGGSP) 2021ः–**

1. जिला सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **बगाढ़ी**

**(c) बाल हितैसी ग्राम पंचायत पुरस्कार (CFGPA) 2021ः–**

1. जिला नालन्दा के एकंगरसराय प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **कोसियावां**

**(d) ग्राम पंचायत विकास योजना** (GPDPA) **2021ः–**

1. जिला रोहतास के अकोढ़ीगोला प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत **बिसैनीकला**

## परिशिष्ट–1

**राज्य – बिहार**
**विभाग – पंचायती राज विभाग**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिला परिषदों की कुल संख्या | 38 |
| 2 | पंचायत समितियों की कुल संख्या | 533 |
| 3 | ग्राम पंचायतों की कुल संख्या | 8067 |
| 4 | ग्राम कचहरियों की कुल संख्या | 8067 |
| 5 | ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या | 109634 |
| 6 | ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या | 8067 |
| 7 | पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या | 11094 |
| 8 | जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या | 1160 |
| 9 | ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या | 109634 |
| 10 | ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या | 8067 |
| 11 | ग्राम पंचायत सचिव की कुल कार्यरत संख्या | 3635 |
| 12 | ग्राम पंचायत सचिव की कुल रिक्त संख्या | 4751 |
| 13 | ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या | 6947 |
| 14 | ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या | 7474 |
| 15 | जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या | 38 |
| 16 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या | 716 |

## राज्य स्कीम

| क्र० | राज्य स्कीम का नाम | 2021–22 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| **मांग संख्या–16 (पंचायती राज विभाग)** | | |
| 1 | मुख्यमंत्री निश्चय योजना | ₹15000.00 |
| 2 | मुख्यमंत्री निश्चय योजना–2 | ₹20000.00 |
| 3 | निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता | ₹22600.00 |
| 4 | पंचायत सरकार भवनों के निर्माण | ₹25000.00 |
| 5 | पंचायत समिति सरकार भवनों के निर्माण | ₹8000.00 |
| 6 | ग्राम पंचायतों के विविध मदों हेतु | ₹0.01 |
| 7 | ग्राम कचहरी के विविध मदों हेतु | ₹800.00 |
| 8 | राज्य पंचायत संसाधन संस्था को अनुदान | ₹1000.00 |
| 9 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | ₹20274.00 |
| 10 | कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय | ₹15000.00 |
| 11 | अनुग्रह अनुदान | ₹400.00 |
| 12 | जिला पंचायत स्थापना | ₹2000.00 |
| 13 | **कुल (क्र०–1 से 11 तक)** | **₹130074.01 (तेरह अरब चौहत्तर लाख एक हजार रुपये) मात्र** |
| **मांग संख्या–35 (योजना एवं विकास विभाग)** | | |
| 14 | पंचायत सरकार भवन का निर्माण | ₹500.00 |
| 15 | **कुल ( क्र०–13)** | **₹500.00 (पाँच करोड़ रुपये) मात्र** |
| **मांग संख्या–03 (भवन निर्माण विभाग)** | | |
| 16 | विभाग का आधुनिकीकरण | ₹130.99 |
| 17 | **कुल ( क्र०–15 का)** | ₹130.99 **(एक करोड़ तीस लाख निन्यानवें हजार रुपये) मात्र** |
| 18 | **सकल कुल ( क्र०–11+13+15) :–** | **₹130705.00 (तेरह अरब सात करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र** |

## स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

| क्र० | मुख्यशीर्ष / कार्यक्रम | 2021–22 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| **मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम** | | |
| 1. | स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय) | ₹ 52846.73 |
| 2. | पन्द्रहवाँ वित्त आयोग (Untied Grant) | ₹ 153680.00 |
| 3. | पन्द्रहवाँ वित्त आयोग (Tied Grant) | ₹ 230520.00 |
| 4. | पन्द्रहवाँ वित्त आयोग (Health Grant) | ₹ 90447.00 |
| 5. | राज्य वित्त आयोग (षष्ठम्) की अनुशंसा के आलोक में अंशदान | ₹ 314200.00 |
| **मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन** | | |
| 6. | स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग) | ₹ 711.86 |
| 7. | पंचायत निर्वाचन | ₹ 7450.00 |
| **मुख्य शीर्ष–3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएँ** | | |
| 8. | स्थापना | ₹ 212.12 |
| | **कुल :–** | **₹ 850067.71** |
| | | **पिचासी अरब सड़सठ लाख इकहतर हजार रूपये मात्र** |

**वित्तीय वर्ष वर्ष 2022–23 हेतु मांग संख्या–16 का कुल योग (राज्य स्कीम + स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)**

**₹130705.00 + ₹850067.71 = ₹980772.71 लाख**

**(अट्ठानवें अरब सात करोड़ बहत्तर लाख इकहत्तर हजार रूपये मात्र)**

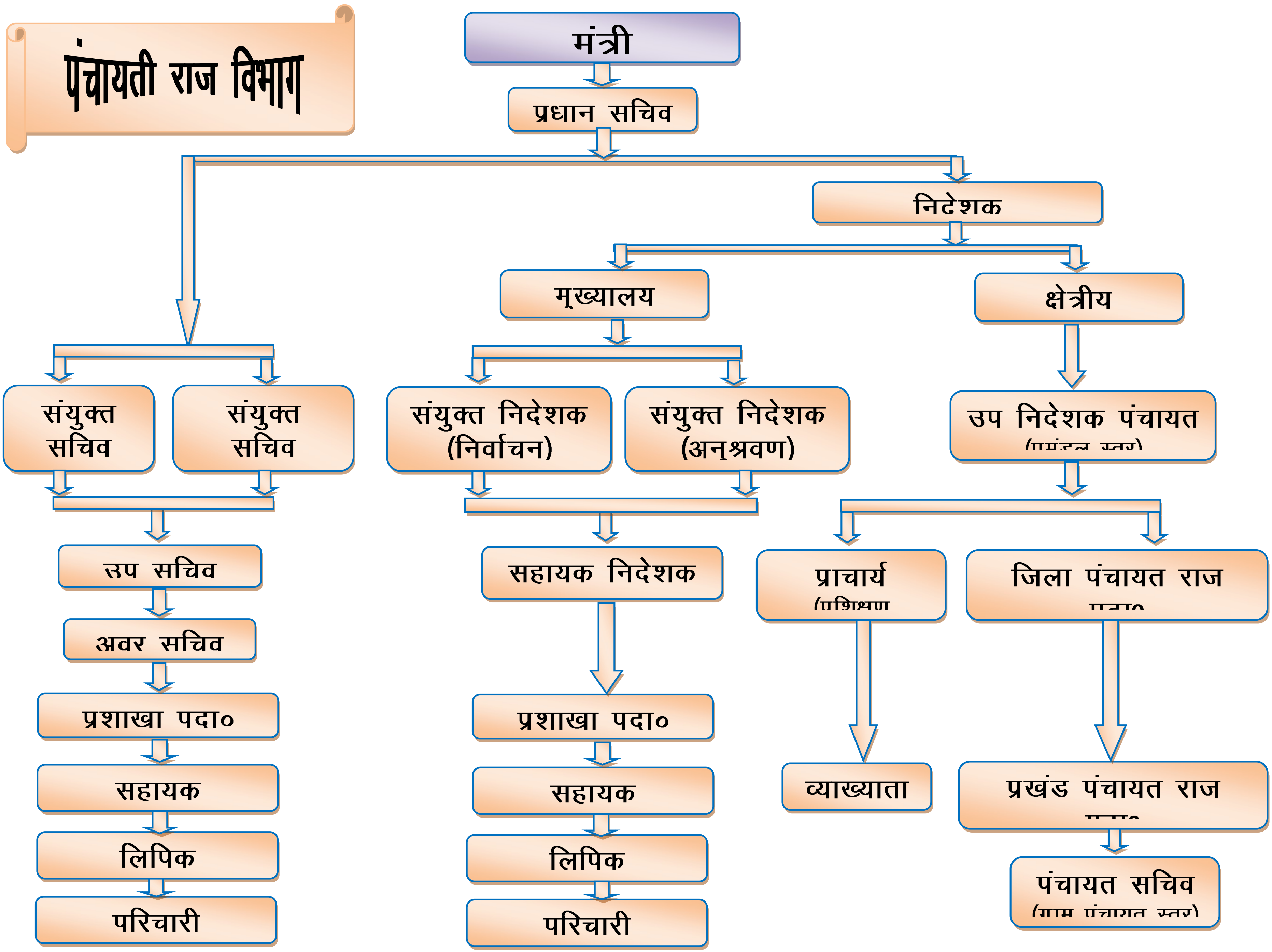
पंचायती राज विभाग
मंत्री
प्रधान सचिव
निदेशक
मुख्यालय
क्षेत्रीय
संयुक्त सचिव
संयुक्त सचिव
संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
उप निदेशक पंचायत
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
सहायक निदेशक
प्रशाखा पदा०
सहायक
लिपिक
परिचारी
प्राचार्य
जिला पंचायत राज
व्याख्याता
प्रखंड पंचायत राज
पंचायत सचिव

बिहार सरकार

## पंचायती राज विभाग

## पदों की संरचना/संख्या (मुख्यालय)

| क्र0 | पद का नाम | स्वीकृत/ सृजित पद | कार्यरत बल | रिक्ति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | अपर मुख्य/प्रधान सचिव/सचिव | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | निदेशक | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)/संयुक्त सचिव | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)/संयुक्त सचिव | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | उप सचिव | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | अनुश्रवण पदाधिकारी | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | सहायक निदेशक | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | अवर सचिव | 2 | 1 | 1 | संविदा पर |
| 10 | उप राज्य आयोजक | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | योजना पदाधिकारी | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक (कम्प्यूटर) | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | शाखा आयोजक–सह–ग्रामीण विकास विशेषज्ञ | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | विशेष कार्य पदाधिकारी | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | प्रशाखा पदाधिकारी | 11 | 6 | 5 | 02 संविदा पर |
| 16 | सहायक | 44 | 13 | 31 | |
| 17 | कम्प्यूटर प्रोग्रामर (6500–10500)(संविदा पर) | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | प्रधान आप्त सचिव | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | आप्त सचिव | 1 | 2 | - | |
| 20 | निजी सहायक | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | आशुलिपिक | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | सचिव के सचिव | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | उच्चवर्गीय लिपिक | 8 | 3 | 5 | 01 संविदा पर |
| 24 | निम्नवर्गीय लिपिक | 12 | 3 | 9 | |
| | | | 3 | | क्षेत्रीय कार्यालय से तीन प्रतिनियुक्त। |
| 25 | लेखापाल | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | रोकड़पाल | 1 | 0 | 1 | प्रतिनियुक्ति पर एक निम्नवर्गीय लिपिक कार्यरत। |
| 27 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (मुख्यालय) | 28 | 24 | 4 | |
| 28 | प्रधान अनुदेशक | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | कलाकार–सह–संगणक | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | वाद्य अनुदेशक | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा पर) | 5 | 36 | | कुज 36 (आउटसोर्सिंग/ बेल्ट्रॉन से संविदा पर नियोजन)। |
| 32 | चालक | 2 | 0 | 2 | |
| | | | 6 | | बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पटना से पांच चालक की सेवा संविदा पर प्राप्त। |

| क्र0 | पद का नाम | स्वीकृत/ सृजित पद | कार्यरत बल | रिक्ति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | ट्रेजरी सरकार | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | कार्यालय परिचारी | 18 | 6 | 12 | |
| 35 | आई०टी० ब्याय/गर्ल (संविदा पर) | - | 16 | | आउटसोर्सिंग/ बेल्ट्रॉन से संविदा पर नियोजित। |

**नोट** :– क्रमांक 31 पर अंकित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 05 (पाँच) पद स्वीकृत हैं जबकि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन से संविदा पर सेवा प्राप्त 36(छत्तीस) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं।

# पंचायती राज संस्थाएँ

सशक्त

समावेशी

पारदर्शी

उत्तरदायी

पंचायती राज संस्थाएँ

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग